



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-23022026-270410  
CG-CG-E-23022026-270410

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 904]

नई दिल्ली, सोमवार, 23 फरवरी, 2026/फाल्गुन 4, 1947

No. 904]

NEW DELHI, MONDAY, 23 FEBRUARY, 2026/PHALGUNA 4, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 20 फरवरी, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना

**का.आ. 948(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसमें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 5762 तारीख 23 दिसम्बर 2025, (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-नेवरासरोड़, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा- नागपुर, बिलासपुर- पेंझारोड़- अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधिन 20क अधिसूचना का सार, दैनिक भास्कर (हिन्दी), नवभारत (हिन्दी), टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) में, दिनांक 08: 01: 2026 में प्रकाशित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और उक्त अधिनियम की धारा 20घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा(1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अर्जित किये गए भूखंडों का विवरण :-

क्र.सं.	जिला- कोरबा				भू स्वामी का नाम	राज्य - छत्तीसगढ़			अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
	अनुबिभागीय अधिकारी (रा.)/ सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का न.		किस्म	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	अनुबिभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा, जिला - कोरबा, छत्तीसगढ़	कोरबा	उरगा	प.ह.न. 27	सतपाल सिंह पिता प्रताप सिंह जगतपाल सिंह पिता प्रताप सिंह भगतपाल सिंह पिता प्रताप सिंह समारिन बाई बेवा प्रताप सिंह पुरषोत्तम सिंह पिता सिदार सिंह गायत्री बाई पिता सिदार सिंह हरिनाम सिंह पिता निर्मल सिंह हरगोबिन्द सिंह पिता जमींदार सिंह तुलसी पिता जमींदार सिंह कोमल सिंह पिता बलिहार0020सिंह वेदप्रकाश पिता बलिहार सिंह धनेश्वरी कंवर पिता बलिहार सिंह तिहारिन बाई पति बलिहार सिंह स्नेहल, प्रियांशु, दिव्यांश पिता	कृषि	233/1	0.926	0.153

जिला- कोरबा					राज्य - छत्तीसगढ़				
क्र.सं.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का न.	भू स्वामी का नाम	किस्म	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					घनश्याम निशा कंवर पति घनश्याम				
							योग	0.926	0.153

[फा. सं. सीपीएम/इले/बीएसपी/2x25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./20 ई/1723]

विजय कुमार साहू, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

### NOTIFICATION

Bilaspur, the 20th February, 2026

### NOTIFICATION UNDER SECTION 20 E of THE RAILWAY ACT 1989

**S.O. 948(E).**—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number **5762, dated 08 January 2026**, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, **Champa-Gevraroad** , Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000 MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra over SEC railway and, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers place wise Dainik Bhaskar (Hindi), Navbharat (Hindi), Times of India(English) edition dated 08.01.2026 and whereas, **No objections were received within the set time period** and disposed of by the Competent Authority under section 20 D of the said Act; and, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20 E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

**The Details of land for which 20 (E) is proposed to be issued:**

Sl.No.	District- Korba				Nature of ownership	State- Chhattisgarh			Area to be acquired (in Hec)	
	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Patwari halka No.		Nature of land	Land khasra no.	Total area (in Hec)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	SDM (Rev) Korba (Distt. - Korba), Chhattisgarh	Korba	Urga	P.H.No. 27	Satpal singh pita Pratap singh, Jagatpal singh pita Pratap singh, Bhagatpal singh pita Pratap singh, Samaarin Bai bewa Pratap singh Purshottam singh Pita Sidar singh Gayatri Bai pita sidar singh Harinam singh pita Nirmal singh Hargobind singh pita jamidaar singh Tulsi pita Jamidar singh Komal singh pita Balihaar singh Vedprakash pita Balihaar singh Dhaneshwari Kanwar pita Balihaar singh Tiharin bai pati Balihaar singh Snehal , Priyanshu, Divyansh pita Ghanshyam Nisha kanwar pati Ghanshyam	Krishi	233/1	0.926	0.153	
<b>Total</b>							<b>0.926</b>	<b>0.153</b>		

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20E/1723]

VIJAY KUMAR SAHU, Chief Administrative Officer/Construction